"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2012—फाल्गुन 26, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, ये नियम 16 मार्च, 2012 से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(4) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में राज्य स्तर पर किसी भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाले रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत होगा :—

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | 12 प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति | 32 प्रतिशत |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 प्रतिशत" |

2. नियम 3 के खण्ड (1) एवं (2) में, शब्द "अनुसूची एक, दो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची–एक" कमशः प्रतिस्थापित किया जाये ।

3. नियम की अनुसूची–एक एवं दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची–एक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

अनुसूची–एक
( नियम 3 देखिये )

प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी

| रोस्टर का बिन्दु | अनारक्षित है अथवा आरक्षित | नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है। | अनु.जाति 12% अनु.जनजाति 32% अन्य पिछड़ा वर्ग 14% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | रोस्टर का बिन्दु | अनारक्षित है अथवा आरक्षित | नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है। |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | अनारक्षित | | | 26 | अनु.जनजाति | | |
| 2 | अनारक्षित | | | 27 | अनारक्षित | | |
| 3 | अनारक्षित | | | 28 | अनारक्षित | | |
| 4 | अनु.जनजाति | | | 29 | अपिवर्ग | | |
| 5 | अनारक्षित | | | 30 | अनु.जनजाति | | |
| 6 | अनारक्षित | | | 31 | अनारक्षित | | |
| 7 | अनु.जनजाति | | | 32 | अनु.जनजाति | | |
| 8 | अपिवर्ग | | | 33 | अनारक्षित | | |
| 9 | अनु.जाति | | | 34 | अनु.जाति | | |
| 10 | अनु.जनजाति | | | 35 | अनु.जनजाति | | |
| 11 | अनारक्षित | | | 36 | अपिवर्ग | | |
| 12 | अनारक्षित | | | 37 | अनारक्षित | | |
| 13 | अनु.जनजाति | | | 38 | अनु.जनजाति | | |
| 14 | अनारक्षित | | | 39 | अनारक्षित | | |
| 15 | अपिवर्ग | | | 40 | अनारक्षित | | |
| 16 | अनु.जनजाति | | | 41 | अनु.जनजाति | | |
| 17 | अनु.जाति | | | 42 | अनु.जाति | | |
| 18 | अनारक्षित | | | 43 | अपिवर्ग | | |
| 19 | अनु.जनजाति | | | 44 | अनु.जनजाति | | |
| 20 | अनारक्षित | | | 45 | अनारक्षित | | |
| 21 | अनारक्षित | | | 46 | अनारक्षित | | |
| 22 | अनु.जनजाति | | | 47 | अनु.जनजाति | | |
| 23 | अपिवर्ग | | | 48 | अनु.जाति | | |
| 24 | अनारक्षित | | | 49 | अपिवर्ग | | |
| 25 | अनु.जाति | | | 50 | अनु.जनजाति | | |

| रोस्टर का बिन्दु | अनारक्षित है अथवा आरक्षित | नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है। | रोस्टर का बिन्दु | अनारक्षित है अथवा आरक्षित | नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या वह अनु. जा./जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 51 | अनारक्षित | | | 76 | अनु.जनजाति | | |
| 52 | अनारक्षित | | | 77 | अनारक्षित | | |
| 53 | अनारक्षित | | | 78 | अनारक्षित | | |
| 54 | अनु.जनजाति | | | 79 | अनु.जनजाति | | |
| 55 | अनारक्षित | | | 80 | अपिवर्ग | | |
| 56 | अनारक्षित | | | 81 | अनारक्षित | | |
| 57 | अनु.जनजाति | | | 82 | अनु.जनजाति | | |
| 58 | अपिवर्ग | | | 83 | अनारक्षित | | |
| 59 | अनु.जाति | | | 84 | अनु.जाति | | |
| 60 | अनु.जनजाति | | | 85 | अनु.जनजाति | | |
| 61 | अनारक्षित | | | 86 | अपिवर्ग | | |
| 62 | अनारक्षित | | | 87 | अनारक्षित | | |
| 63 | अनु.जनजाति | | | 88 | अनु.जनजाति | | |
| 64 | अनारक्षित | | | 89 | अनारक्षित | | |
| 65 | अपिवर्ग | | | 90 | अनारक्षित | | |
| 66 | अनु.जनजाति | | | 91 | अनु.जनजाति | | |
| 67 | अनु.जाति | | | 92 | अनु.जाति | | |
| 68 | अनारक्षित | | | 93 | अपिवर्ग | | |
| 69 | अनु.जनजाति | | | 94 | अनु.जनजाति | | |
| 70 | अनारक्षित | | | 95 | अनारक्षित | | |
| 71 | अनारक्षित | | | 96 | अनारक्षित | | |
| 72 | अनु.जनजाति | | | 97 | अनु.जनजाति | | |
| 73 | अपिवर्ग | | | 98 | अनु.जाति | | |
| 74 | अनारक्षित | | | 99 | अपिवर्ग | | |
| 75 | अनु.जाति | | | 100 | अनु.जनजाति | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, सचिव,

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 16 मार्च 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, सचिव.

Raipur, the 16th March 2012

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.— In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998. These rules shall come into force from 16 March, 2012, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (3) of rule 3, the following clause shall be added, namely :-

"(4) At the state level, the following percentage of vacancies arising in a recruitment year in Class-I, II, III and IV posts:-

| | |
|---|---|
| Scheduled Castes | 12 percent |
| Scheduled Tribes | 32 percent |
| Other Backward Classes | 14 percent" |

2. In clause (1) and (2) of rule 3, for the words "Schedule I, II" the words "Schedule-I" shall be substituted respectively.

3. For Schedule-I and II of the rule, the following Schedule-I shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-1
(see Rule-3)

**I, II, III & IV CLASS**

| SC | ST | OBC |
|---|---|---|
| 12% | 32% | 14% |

| Roster Point | General/ on Reserved | Name of person appointed and date of appoint-ment | Is the person appointed is a member of SC/ST/ OBC category | Roster Point | General/ on Reserved | Name of person appointed and date of appoint-ment | Is the person appointed is a member of SC/ST/ OBC category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Unreserved | | | 26 | Scheduled Tribe | | |
| 2 | Unreserved | | | 27 | Unreserved | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Unreserved | | | 28 | Unreserved | | |
| 4 | Scheduled Tribe | | | 29 | Other Backward Classes | | |
| 5 | Unreserved | | | 30 | Scheduled Tribe | | |
| 6 | Unreserved | | | 31 | Unreserved | | |
| 7 | Scheduled Tribe | | | 32 | Scheduled Tribe | | |
| 8 | Other Backward Classes | | | 33 | Unreserved | | |
| 9 | Scheduled Caste | | | 34 | Scheduled Caste | | |
| 10 | Scheduled Tribe | | | 35 | Scheduled Tribe | | |
| 11 | Unreserved | | | 36 | Other Backward Classes | | |
| 12 | Unreserved | | | 37 | Unreserved | | |
| 13 | Scheduled Tribe | | | 38 | Scheduled Tribe | | |
| 14 | Unreserved | | | 39 | Unreserved | | |
| 15 | Other Backward Classes | | | 40 | Unreserved | | |
| 16 | Scheduled Tribe | | | 41 | Scheduled Tribe | | |
| 17 | Scheduled Caste | | | 42 | Scheduled Caste | | |
| 18 | Unreserved | | | 43 | Other Backward Classes | | |
| 19 | Scheduled Tribe | | | 44 | Scheduled Tribe | | |
| 20 | Unreserved | | | 45 | Unreserved | | |
| 21 | Unreserved | | | 46 | Unreserved | | |
| 22 | Scheduled Tribe | | | 47 | Scheduled Tribe | | |
| 23 | Other Backward Classes | | | 48 | Scheduled Caste | | |
| 24 | Unreserved | | | 49 | Other Backward Classes | | |
| 25 | Scheduled Caste | | | 50 | Scheduled Tribe | | |

| Roster Point | General/ on Reserved | Name of person appointed and date of appointment | Is the person appointed is a member of SC/ST/OBC category | Roster Point | General/ on Reserved | Name of person appointed and date of appointment | Is the person appointed is a member of SC/ST/OBC category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 51 | Unreserved | | | 76 | Scheduled Tribe | | |
| 52 | Unreserved | | | 77 | Unreserved | | |
| 53 | Unreserved | | | 78 | Unreserved | | |
| 54 | Scheduled Tribe | | | 79 | Scheduled Tribe | | |
| 55 | Unreserved | | | 80 | Other Backward Classes | | |
| 56 | Unreserved | | | 81 | Unreserved | | |
| 57 | Scheduled Tribe | | | 82 | Scheduled Tribe | | |
| 58 | Other Backward Classes | | | 83 | Unreserved | | |
| 59 | Scheduled Caste | | | 84 | Scheduled Caste | | |
| 60 | Scheduled Tribe | | | 85 | Scheduled Tribe | | |
| 61 | Unreserved | | | 86 | Other Backward Classes | | |
| 62 | Unreserved | | | 87 | Unreserved | | |
| 63 | Scheduled Tribe | | | 88 | Scheduled Tribe | | |
| 64 | Unreserved | | | 89 | Unreserved | | |
| 65 | Other Backward Classes | | | 90 | Unreserved | | |
| 66 | Scheduled Tribe | | | 91 | Scheduled Tribe | | |
| 67 | Scheduled Caste | | | 92 | Scheduled Caste | | |
| 68 | Unreserved | | | 93 | Other Backward Classes | | |
| 69 | Scheduled Tribe | | | 94 | Scheduled Tribe | | |
| 70 | Unreserved | | | 95 | Unreserved | | |
| 71 | Unreserved | | | 96 | Unreserved | | |
| 72 | Scheduled Tribe | | | 97 | Scheduled Tribe | | |
| 73 | Other Backward Classes | | | 98 | Scheduled Caste | | |
| 74 | Unreserved | | | 99 | Other Backward Classes | | |
| 75 | Scheduled Caste | | | 100 | Scheduled Tribe | | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.